दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 30 सितम्बर, 2002 / आश्विन 08, 1924 (शक)

संख्याः 236

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस सहायक उपायुक्त, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा की माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 30/09/2002 के पूर्वाहन 9.55 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत क्रिबी प्लेस, धोबी घाट पर नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सिहत उसी दिन अर्थात् दिनांक 30/09/2002 को पूर्वाह्न 10.25 बज़े, रिहा कर दिया गया ।"

> एस॰ के॰ शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday 30th September, 2002/ Aashvina 08, 1924(Saka)

No.: 236

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Assistant Commissioner of Police, Delhi Cantt., New Delhi:

"I have the honour to inform you that Smt. Kiran Choudhry Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith her supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at Kirbi Place Dhobi Ghat at 9.55 A.M., on 30.9.2002.

She alongwith her supporters was released at 10.25 A.M..from Same Place, on the same day i.e. 30.9.2002."

S.K.SHARMA SECRETARY